सं०सं०–1/व०आ०सं०–02/2017– 119(1)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,
वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान,
पावापुरी, नालन्दा।

पटना, दिनांक– 19/03/2018

विषयः– वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में भाड़े की गाड़ी का भुगतान एवं संविदा सेवायें मद में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त कुल रु० 3,62,60,000/–(रुपये तीन करोड़ बासठ लाख साठ हजार) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्राचार्य, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा के पत्रांक–1062, दिनांक–06.11.2017 के आलोक में वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा, विपत्र कोड–20–2210051050022 को वित्तीय वर्ष 2017–18 में भाड़े की गाड़ी का भुगतान एवं संविदा सेवायें मद में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त कुल रु० 3,62,60,000/– (रुपये तीन करोड़ बासठ लाख साठ हजार) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति निम्नरुपेण दी जाती है–

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त उपबंध	कुल उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	अद्यतन कुल आवंटन	शेष राशि
0022.13.10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	0	460000	460000	0	460000	460000	0
0022.28.02 संविदा सेवायें	30000000	35800000	65800000	30000000	35800000	65800000	0
कुल योग–	**30000000**	**36260000**	**66260000**	**30000000**	**36260000**	**66260000**	**0**

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2), दिनांक–17.04.98, 2356/वि०(2), दिनांक–12.04.06, 2938/वि०(2), दिनांक–08.04.08 एवं 3388/वि०(2), दिनांक–18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–0022–वर्द्धमान इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईसेज, पावापुरी, विपत्र कोड–20–2210051050022 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

क्रमशः

5. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

6. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्त्तों के तहत् किया जाएगा।

7. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।

8. इस राशि की निकासी कोषागार, राजगीर (नालन्दा) से की जाएगी।

9. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

10. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

19/3/18

(सच्चिदानन्द चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:–1/व0आ0सं0–02/2017– 119(1)स्वा0/स्वा0, पटना, दिनांक–19/03/2018

प्रतिलिपि:– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, नालन्दा/कोषागार पदाधिकारी, राजगीर (नालन्दा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1/संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/3/18

सरकार के विशेष सचिव